

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 05/2023

तारीख रजू 11.01.2023

राम सिंह पुत्र लड्डू जाति मीना निवासी पीपलदा तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर -अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खण्डार जिला सवाई माधोपुर

- रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित - घनश्याम जाट एड० - अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व - रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक...10/1/22

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, खण्डार द्वारा मिसल नं० 02/22 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पीपलदा के आराजी खसरा नम्बर 723 रकबा 2.00 बीघा किस्म चारागाह पर संवत् 2079 में अनाधिकृत रूप से जिन्स सरसों कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ-साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंड की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजीयात खण्डार नं० 723 रकबा 2.00 बीघा किस्म चारागाह पर वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा न ही अपीलार्थी कोई पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली का सही तरीके से अवलोकन नहीं करके महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सम्मन नोटिस दिये हुए, बिना उक्त आराजीयात के आस-पास के खेतवालो के कोई बयान लिए केवल मात्र पटवारी हल्का के कार्यालय में बैठकर कर बनाई गई रंजिशवश गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को भू राजस्व लगान 4.00 की 50 गुना शास्ति 200 रूपयें एवं एक माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अन्त में वकील अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। विद्वान परोकार ने बहस में यह भी तर्क दिया है कि विवादित भूमि चरागाह है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा मवेशियों के चरने के उपयोग में काम आती है यदि अपीलार्थी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखल नहीं किया गया तो अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमण करने हेतु बढावा मिलेगा एवं पशुधन सम्पदा को क्षति पहुँचने की पूर्ण संभावना है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट के पुत्र श्री अशोक मीना द्वारा प्राप्त किया गया। जिसके उपरान्त अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 25.11.2022 को उपस्थित हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस, फर्द नीलामी व अन्य दस्तावेज आदि संलग्न नहीं है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 25.11.2022 में अपीलान्ट के ख0नं0 723 रकबा 2.00 बीघा में सरसों कर अतिक्रमण करना बताया है किन्तु पत्रावली में इस संबंध में पर्याप्त तथ्य संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती होने के पुख्ता/पर्याप्त सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है तथा अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में एक शपथ पत्र पेश किया है। मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण तहसीलदार, खण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वर्तमान में विवादित भूमि पर अपीलान्ट कब्जा है अथवा नहीं है के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दंड को निरस्त समझा जावे। यदि वर्तमान में अतिक्रमण पाया जावे तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को बहाल रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक...10/4/23...को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर